

न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 194/2007

उनवान

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

1. देवाशंकर वल्द परमानन्द मृतक जरिये मु० भगवती देवी पत्नि स्व० देवा शंकर
2. नारायण शंकर पुत्र स्व० देवाशंकर
3. श्यामसुन्दर पुत्र स्व० देवाशंकर जाति सभी पाराशर निवासी बडी बस्ती पुष्कर  
.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व  
(कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित:-

1. श्री शुभकरणसिंह चौधरी राजकीय अभिभाषक
2. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी


आदेश

दिनांक - 09.11.2016

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम गनाहेडा तहसील व जिला पुष्कर स्थित आराजी ख.न. 1966 मिन रकबा 12-00-00 बारानी भूमि अति० उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा दिनांक 26.9.71 को अप्रार्थीयान के पति एवं पिता श्री देवाशंकर वल्द परमानन्द पाराशर कौम ब्राह्मण निवासी पुष्कर को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था। वर्तमान वर्किंग जमाबंदी के खाता नं० 454 में खसरा नम्बर 1966/2067 रकबा 12.00 बीघा किस्म बारानी अप्रार्थीयान के नाम खातेदारी में दर्ज है। खसरा गिरदावरी संवत् 2027 से 2063 के अनुसार उक्त आवंटित भूमि पर आवंटी तथा उसके वारिसान का कब्जा काशत नहीं होना पाया गया है। आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों का पालन नहीं किया गया है साथ ही विवादित आवंटित भूमि अन्तर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला क्षेत्र से लगती हुई है एवं मेला प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जाती है। अप्रार्थी के हक में किया आवंटन आदेश नियमों के अन्तर्गत आवंटन सलाहकार समिति एवं अपेक्षित कोरम के अभाव में विधिक प्रक्रिया के विपरीत किया गया है। अतः सार्वजनिक हित एवं राजहित के मध्यनजर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कारणों से आवंटन निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीयान को विधिवत् सुनवाई का नोटिस दिया गया। अप्रार्थीयान जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अति० उपखण्ड अधिकारी महोदय, अजमेर द्वारा दिनांक 26.9.71 को ग्राम गनाहेडा तहसील व जिला पुष्कर स्थित आराजी ख.न. 1966 मिन रकबा 12-00-00 बारानी



09/11/16  
जिला कलक्टर  
अजमेर

भूमि अप्रार्थीयान के पति एवं पिता श्री देवाशंकर वल्द परमानन्द पाराशर कौम ब्राह्मण निवासी पुष्कर को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी। वर्तमान वर्किंग जमाबंदी के खाता नं० 454 में खसरा नम्बर 1966/2067 रकबा 12.00 बीघा किसम बाराणी अप्रार्थीयान के नाम खातेदारी में दर्ज है। खसरा गिरदावरी संवत् 2027 से 2063 के अनुसार उक्त आवंटित भूमि पर आवंटी तथा उसके वारिसान का कब्जा काशत नहीं होना पाया गया है। आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों का पालन नहीं किया गया है साथ ही विवादित आवंटित भूमि अन्तर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला क्षेत्र से लगती हुई है एवं मेला प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जाती है। आक्षेपित आवंटन आदेश नियमों के अन्तर्गत आवंटन सलाहकार समिति एवं अपेक्षित कोरम के अभाव में विधिक प्रक्रिया के विपरीत किया गया है। अतः सार्वजनिक हित एवं राजहित के मध्यनजर आवंटन निरस्त योग्य है। अतः इन सभी परिस्थितियों के मध्यनजर अप्रार्थीयान के पिता स्व० श्री देवाशंकर वल्द परमानन्द पाराशर कौम ब्राह्मण निवासी पुष्कर के नाम दिनांक 26.9.1971 को ग्राम गनाहेडा के ख.नं. 1966 मिन रकबा 12-00-00 बीघा (जिसके हाल ख.नं. 1966/2067 रकबा 12-00-00) का किया गया आवंटन निरस्त किया जावे।

जवाब में अप्रार्थी अभिभाषक ने कथन किया कि विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण का पूर्वजों के समय से कब्जा चला आ रहा था। अप्रार्थीयान के पति एवं पिता को यह भूमि आवंटित की गई थी। भूमि को काफी रूपया खर्च करने के बाद काबिल काशत बनाई व आवंटन दिनांक से ही उनका कब्जा चला आ रहा है। आवंटन की सभी शर्तों का पालन किया गया है तथा जमाबन्दी में अप्रार्थीयान के पिता को गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया था तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात भूमि अप्रार्थीयान के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई। आवंटन/नियमन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर नियमन की गई भूमि को अति० उप खण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 26.09.1971 को आवंटित किया गया है। आवंटन पश्चात अप्रार्थीयान द्वारा निरन्तर फसल काशत की जा रही है नियम 14(4) के तहत आवंटन भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा अगले वर्ष में सम्पूर्ण रकबा पर काशत करने की शर्त को समाप्त कर दिया जाने से प्रार्थना पत्र कथन उनके प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं इसलिये कब्जा काशत नहीं होने के आरोप मिथ्या है। मिथ्या कथनों के आधार पर प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो लागू नहीं होते हैं। अतः अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीयान के पति एवं पिता स्व० देवाशंकर को दिनांक 26.09.1971 को विवादित भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई थी। खसरा गिरदावरी सं. 2039 से 2063 से आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काशत साबित नहीं है। चूंकि राज्य सरकार द्वारा भू आवंटन/नियमन के नियमों में पूर्व निर्धारित नियम यथा प्रथम वर्ष में 50% तथा अगले वर्ष में सम्पूर्ण भू भाग पर फसल काशत करने की शर्त को विलोपित कर दिया है किन्तु अप्रार्थी द्वारा उनके पक्ष में हुये आवंटन/नियमन के पश्चात् लगातार 20 वर्ष से अधिक अवधि तक काशत नहीं कर नियम 14(3) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। आक्षेपित आवंटन आदेश नियमों के अन्तर्गत आवंटन सलाहकार समिति एवं अपेक्षित कोरम के अभाव में विधिक प्रक्रिया के विपरीत किया गया है तथा विवादित आवंटित भूमि अन्तर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला



09/11/16  
जिला कलेक्टर  
अजमेर

क्षेत्र से लगती हुई है एवं भेला प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जाती है। ग्राम गनाहेडा की वर्किंग जमाबन्दी में आवंटनी के गैर खातेदारी में दर्ज होने के पश्चात नियमों की पालना नहीं करने के कारण खातेदारी के हक नहीं मिले एवं बाद में नामान्तरकरण संख्या 250 दिनांक 22.02.1991 से उक्त भूमि सिवाय चक दर्ज की गई है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम गनाहेडा तहसील पुष्कर जिला अजमेर के वर्किंग जमाबन्दी के खाता नं० 454 में खसरा नम्बर 1966/2067 रकबा 12.00 बीघा किस्म बारानी भूमि का अप्रार्थीयान के मति एवं पिता के हक में किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है।

आदेश भरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 09.11.2016 को सरे

सुनाया गया।



09/11/16

(गौरव गोयल)  
जिला कलेक्टर,  
अजमेर